न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2018

चरणवीरसिंह पुत्र विरेन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी हाउस नं. 129, सैक्टर नं. 9बी, चण्डीगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. उधमसिंह पुत्र हरदीपसिंह
3. प्रगटसिंह
4. वरयामसिंह — पिसरान दलीपसिंह — जाति जटसिख निवासी चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरनामसिंह
6. महलसिंह
7. बंतासिंह — पिसरान करतारसिंह
8. स्वर्णसिंह
9. गुरचरणसिंह
10. रेशमकौर पत्नी करतारसिंह

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 08.12.2017

उपस्थिति :–

श्री सुभाष मिढा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणियां, राजकीय अधिवक्ता

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय

दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 2 से 9 ने 1 प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 7 सी बडी प्रथम के मु.नं. 19 के कि.नं. 21 से 25 में 2–2

बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रा.पत्र पेश होने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 27.05.2017 को प्रा.पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये गये। दिनांक 09.02.2017 को अप्रार्थी की तलबी जरिये समाचार पत्र करवाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 06.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुन आवेदित रास्ता दिनांक 08.12.2017 को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट चण्डीगढ में निवास करता है। अपीलांट को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा यहां के स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस साया करवाये गये हैं जबकि अप्रार्थी चण्डीगढ में निवास करता है। नोटिस ऐसे अखवार में साया होने चाहिए थे जिसका सर्कुलेशन अपीलांट/अप्रार्थी के अन्तिम ज्ञात पते अर्थात चण्डीगढ में हो। रेस्पों. ने यह पूर्ति नहीं की है। अतः इस प्रकरण में अधी. न्यायालय के स्तर पर अपीलांट को नोटिस की समुचित तामील मानना उचित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट पर समुचित तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने दिनांक 03.12.2018 को प्रा.पत्र आ. 41 नि. 27 सीपीसी पेश कर रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश की है जिसे बतौर साक्ष्य ग्रहण करने का निवेदन किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पों. कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा भी उक्त रास्ता को स्वीकृत करने की सिफारिस की गई है। अपीलांट के नोटिस समाचार पत्र में साया करवाने के बाबजूद भी कोई उपस्थित

नहीं आने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा अपीलांट को मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. रेट की दोगुणी राशि दिलाने के आदेश दिये गये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 07.08.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र आ. 41 नि. 27 के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का मय नक्शा पेश किया है जो लोक दस्तावेज होने से प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को बतौर साक्ष्य ग्रहण किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है जैसाकि उपर विवेचित किया जा चुका है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। उस पर विधिवत तामील का बिन्दु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के अनुसार विचारणीय है। अपीलांट का यह कहना सही है कि यदि तामील अखवार में साया करने के माध्यम से होनी ही थी तो नोटिस ऐसे अखवार में साया होने चाहिए थे जिसका सर्कुलेशन अपीलांट/अप्रार्थी के अन्तिम ज्ञात पते अर्थात चण्डीगढ में हो। रेस्पों. ने यह पूर्ति नहीं की है। अतः इस प्रकरण में अधी. न्यायालय के स्तर पर अपीलांट को नोटिस की समुचित तामील मानना उचित नहीं है। यदि अधी. न्यायालय के स्तर पर इस प्रकरण में अपीलांट को तामील मान भी ले तो भी रास्ते के इस प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट जिसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता की मांग की गई है उसके द्वारा चाहे जाने पर उसे साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिया जाना निहायत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2017 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज.काश्त.अधि. की धारा

251ए एवं उसकी कियान्विति हेतु बने नियम 69 की पालना करते हुए सभी सम्बन्धित पक्षकारों सुनकर एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर